राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांकः–एफ 13/1/12/वीएस/डीईएस/2000/ 34028 दिनांकः–27-12-2012

परिपत्र

विषयः– बालक/बालिका के माता–पिता या संरक्षक जिन्होनें बालक/बालिका के जन्म की रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष समाप्ति के बाद भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नहीं कराई है,के सम्बन्ध में।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 10 के तहत किसी बालक/बालिका के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किए जाने का प्रावधान है तथा बालक/बालिका के माता–पिता या संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निःशुल्क तथा उसके उपरान्त 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/– विलम्ब शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्ट कराया जा सकता है । परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत से प्रकरणों में जन्म रजिस्ट्रेशन के बाद 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नहीं कराई है अर्थात बालक/बालिका का नाम अंकित किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

बिना नाम के जन्म प्रमाण पत्र के कारण व्यक्तियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के पत्रांक 1/2/नियम(10) / 2012–जीवनांक(सी.आर.एस.) दिनांक 23.11.2012 के क्रम में यह निर्णय लिया है कि ऐसे बालक/बालिका जिनके माता–पिता या संरक्षक ने बालक/बालिका के जन्म की रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष समाप्ति के बाद भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नहीं कराई है, वे 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि में रूपये 5/– विलम्ब शुल्क जमा करा कर जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि करवाकर नाम अंकित किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लेवें। इस अवधि के पश्चात् यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

राज्य के समस्त ग्रामीण एवं शहरी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उक्त सुविधा का आम जनता में व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा उसमें यह स्पष्ट कर दें कि यह सुविधा उक्त अवधि (31 दिसम्बर, 2014)के पश्चात् उपलब्ध नहीं होगी।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।

क्रमांकः–एफ 13/3/33/वीएस/डीईएस/2011/34029-43932 दिनांकः–27-12-2012
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम नईदिल्ली–110066

2. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी, झालाना डूँगरी, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
5. उप शासन सचिव आयोजना(ग्रुप–1) शासन सचिवालय,जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर
7. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर
8. निदेशक(जन.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
9. निदेशक(आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर , समस्त।
13. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम समस्त।
15. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला सॉख्यिकी अधिकारी ––––––––––को जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
16. आयुक्त नगर परिषद समस्त।
17. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका समस्त।
18. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी , पंचायत समिति –––––––––––––––– जिला –––––––––– को पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराने हेतु।
19. समस्त रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) , ग्राम पंचायत /नगरपालिका/नगर परिषद /नगर निगम––––––––––––––

सहायक निदेशक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।